प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में दिनांक 14 अप्रैल, 2020 को अपराह्न 4 बजे कोविड–19 की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपचार हेतु गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

....

1. कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में जनपदों की कतिपय जिज्ञासाओं के सापेक्ष उत्तर दिए जाने एवं विभिन्न शासनादेशों में प्रदत्त व्यवस्था के स्वरूप/कार्ययोजना के संबन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारियों/मुख्य चिकित्साअधीक्षकों के साथ वीडियों कान्फ्रेन्सिंग हेतु मिशन निदेशक, एच0एच0एम0 से अपेक्षा की गयी।
कार्यवाहीः मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

2. आयुषमान भारत प्रधान मंत्री जन आयोग्य योजना से आच्छादित व्यक्ति राजकीय एवं प्राईवेट लैब में परीक्षण करा सकते हैं, जिसका भुगतान योजनान्तर्गत किया जायेगा से संबन्धित दिशानिर्देश तत्काल निर्गत किया जाना आवश्यक है।
कार्यवाहीः मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज, उत्तर प्रदेश।

3. वर्तमान में ऐसे रोगी जिनका आपरेशन किया जाना है के संबन्ध में संबन्धित चिकित्सक/संस्था प्रमुख Infection, prevention protocol के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराते हुए ही आपरेशन करेगें।
कार्यवाहीः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।

4. सर्विलान्स की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करने के संबन्ध में अवगत कराया गया कि 44 जनपदों में 213 हाट स्पाट चिन्हित किए गये है जहॉ सघन सर्विग्लान्स की कार्यवाही क्रमित है।
कार्यवाहीः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।

5. जिन जनपदों में कोरोना की जॉच के सैम्पल 50 से कम है वहॉ सैम्पल संख्या को बढ़ाने हेतु तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय। इसी के साथ–साथ पंश्चिमांचल के जनपदों में कोरोना के अधिक केस हाने के कारण सैम्पल की संख्या को तद्नुसार बढ़ाया जाय।
कार्यवाहीः निदेशक संचारी, रोग, उत्तर प्रदेश/ स्टेट सर्विलांस अधिकारी

6. जिन व्यक्तियों को क्वारन्टाइन में रखा गया है कि शत प्रतिशत कोरोना की जॉच की जाय।
कार्यवाहीः निदेशक संचारी, रोग, उत्तर प्रदेश/ स्टेट सर्विलांस अधिकारी

7. कोविड–19 अंतर्गत सूचनाओं से आनलाइन–रियल टाइम जानकारी से अपडेट होने हेतु स्टेट सर्विलान्स अधिकारी एवं अधिशाषी निदेशक, टी0एस0यू0 सम्मिलित प्रयास कर स्कोप आफ वर्क के आधार पर डैस बोर्ड में उक्तानुसार सूचनाओं का संकलन करवाए एवं प्रतिदिन की सूचना से अवगत भी करायें।
कार्यवाहीः अधिशाषी निदेशक, टी0एस0यू0 / स्टेट सर्विलांस अधिकारी

8. कोविड संक्रमण की जॉच हेतु प्राईवेट लैब की भूमिका क्या होगी से संबन्धित कार्य/दिशा निर्देश तैयार करते हुए अभिसूचित किए जाने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाय।
कार्यवाहीः निदेशक, स्थानीय निकाय/निदेशक, संचारी रोग/स्टेट सर्विलांस अधिकारी

15/04

(प्रांजल यादव)
विशेष सचिव,
चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–5
संख्या– 885 पांच–5–2020
लखनऊः दिनांकः 17 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
7. विशेष सचिव, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेशं शासन।
8. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0।
9. निदेशक संचारी, रोग, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उत्तर प्रदेश।
12. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एम0एस0सी0।
13. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज, उत्तर प्रदेश।
14. स्टेट सर्विलान्स अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15. स्टेट क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी।

आज्ञा से,
17/04/2020
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव